न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–03/2026
जीसीएमएस नं.:–2026/14

चन्द्रभान पुत्र श्रीराम जाति सोनी निवासी वार्ड नं.–15 नजदीक वीर तेजा जी मंदिर 3 एस टी आर घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–– प्रार्थी

बनाम्

1. सुभाष चन्द्र श्रीराम जाति सोनी निवासी वार्ड नं.–17 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम

1. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. स्वयं उपस्थित अप्रार्थी सं.–1
3. राज पैरोकार अप्रार्थी सं.–2 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 20/4/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक सं.–1 के नाम से इसी वाके चक 7 पी जी एम तहसील अनूपगढ़ का प.सं.–287/438 मु.नं.–21 के कि.नं.–1/2 में 0.063, 2/3 में 0.063, 3/1 में 0.063, 4/3 में 0.063, 5/2 में 0.076 हैक्टर कुल 0.328 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अनावेदक सं.–1 के अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त में है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्नं है। अनावेवक सं.–1 के अधिकार व अधिपत्य की उपखण्ड व तहसील अनूपगढ़ के चक 7 पी जी एम का प.सं.–287/438 मु.नं.–21 के कि.नं.–1/2 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसे स्वीकृत किया जावे जो रास्ता आवेदक की इसी मुरब्बा के किला नं.–24 तक जाकर आवेदक की कृषि भूमि में प्रवेश कर जायेगा इस प्रकार उक्त रास्ता आवेदक के कि.नं.–1/2 से अनावेदक सं.–1 के किला नं.–10 में से होता हुआ मुख्य सडक अनूपगढ से सूरतगढ़ पर पहुचंता है तथा इसी रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करके अपनी कृषि भूमि में पहुचंता है इसके अलावा प्रार्थी की कृषि भूमि में आवाजाही के लिऐ कोई रास्ता नंही है तथा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आ जा सकेगा तथा जो रास्ता पक्की मुख्य सडक अनूपगढ से सूरतगढ से जुड जाऐगा जिससे आवेदक अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगा उक्त रास्ता ही पूर्व में पिछले काफी समय से चालू है लेकिन अनावेदक सं.–1 उक्त चले रहे रास्ता से आवेदक का आवागमन बाधित करने के प्रयासरत है। नजरी नक्शा सलग्नं है। आवेदक ने अनावेदक सं.–1 से अरसा तीन दिन पूर्व कि.नं. [illegible] 2 बिस्वा यानि 16–1/2 फीट रास्ता रिकार्ड में स्वीकृत करवाने के लिऐ आग्रह कि[illegible] स्पष्ट इन्कार हो गया और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि वह आवेदक [illegible] के लिऐ अपनी भूमि के किला नम्बर 1/2 मे से कोई रास्ता नहीं देगा बल्कि इस किला में जो रास्ता चल [illegible] उसे शिघ्र ही बन्द कर रास्ता को पूर्णतया अवरूद्ध कर देगा इसलिऐ प्रार्थी की ओर से [illegible] पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन के लिऐ अनावेदक सं.–1 के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की कृषि भूमि तहसील अनूपगढ के चक 7 पी जी एम

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

का प.सं.–287/438 मु.नं.–21 के कि.नं.–1/2 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अकंन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.–1 ने स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनावेदक की कृषि भूमि में आवागमन के लिए अनावेदक संख्या 1 के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की कृषि भूमि तहसील अनूपगढ़ के चक 7 पी जी एम का पत्थर संख्या 287/438 मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1/2 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जावें तो मुझ अनावेदक को कोई एतराज नहीं है।

अप्रार्थीगण सं.–2 तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। कि प्रकरण में वर्णित रास्ता भूमि के सम्बन्ध में भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त रिर्पोट के अनुसार चक 7 पीजीएम का पं.नं.–287/438 के किला नं.–1/2 में चाहा गया रास्ता निकटतम एवं अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम रास्ता का विकल्प नहीं है। प्रकरण में प्राप्त भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की सयुक्त रिपोर्ट व नजरी नक्शा की प्रति पत्र के सलग्न है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ से क्रमांक राजस्व/2026/290 दिनांक 16.06.2026 रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए चक 7 पी जी एम का प.सं.–287/438 मु.नं.–21 के कि.नं.–1/2 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत खेत हेतु मांग की है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं अति आवश्यक है। जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाना उचित है। जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर आवेदक की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि **चक 7 पी जी एम का प.सं.–287/438 मु.नं.–21 के कि.नं.–1/2 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत** अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, निकटतम एव अति आवश्यक है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे रास्ता में आई [illegible] अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज **दिनांक** 20/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.04.27 11:00:31 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़